संख्या– 472 /26–ब0प्र0–2010100(69)/2010

प्रेषक,

भवनाथ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण लखनऊः दिनांकः 01 जून, 2010

विषयः– राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत किये गये आय–व्ययक प्रावधान के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–2230/स0क0/एन0एस0ए0पी0/2010, दिनांक 2.4.2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–951/दस–2010–231/2010, दिनांक 26.3.2010 द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में नई मांग के माध्यम से अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए किये गये आय–व्ययक प्रावधान रू0 50.00 करोड़ के सापेक्ष प्रथम छः माह हेतु आवश्यक रू0 25,00,00,000/– (रू0 पच्चीस करोड़ मात्र) की धनराशि अवमुक्त कर व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

2– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–951/दस–2010–231/2010, दिनांक 26.3.2010 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुरूप तथा योजना के सम्बन्ध में निर्गत स्थाई आदेशों एवं समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा ।

3– उपर्युक्त योजना/ मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में नई मांग के माध्यम से अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक– "2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम–आयोजनागत–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना–06–राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता" के नामें डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–3–929/दस–2010, दिनांक 28 मई, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(भवनाथ)
विशेष सचिव।

.....2/–

संख्या– 472 (1)/26–ब0प्र0–2010–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– एन0एस0ए0पी0 डिवीजन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3– महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/2
6– राज्य योजना आयोग–1/2/वित्त संसाधन(केन्द्रीय सहायता) अनुभाग
7– निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ।
8– गार्डफाइल ।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
अनु सचिव ।